सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

18 भाद्र, 1944 (श०)

संख्या – 435 राँची, शुक्रवार, 9 सितम्बर, 2022 (ई०)

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

संकल्प

24 अगस्त, 2022

विषय:- छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम (CNT Act) एवं संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम (SPT Act.) में संशोधन के विरोध करने के फलस्वरूप तथा पत्थलगड़ी का समर्थन कर रहे कतिपय व्यक्तियों के विरूद्ध दर्ज कांडों की वापसी के संबंध में ।

संख्या-3381--मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-1625/30.12.2019 की कंडिका-2 द्वारा दिनांक 29.12.2019 को हुई मंत्रिपरिषद् की बैठम में मद संख्या-3 में ''अन्यान्य'' के रूप में लिये गये निर्णय तथा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम (CNT Act) एवं संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम (SPT Act) में संशोधन के विरोध करने के फलस्वरूप तथा पत्थलगड़ी करने के क्रम में जिन व्यक्तियों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कर मुकदमें दायर किये गये है, उन्हें वापस लेने तथा तद्नुसार कार्रवाई करने का निदेश दिया गया था। तद्क्रम में विभागीय पत्रांक-501, दिनांक-28.01.2020 (पत्थलगड़ी से संबंधित) एवं विभागीय पत्रांक-502,

दिनांक 28.01.2020 (CNT/SPTसे संबंधित) द्वारा मुकदमों की वापसी के बिन्दु पर उपायुक्त की अध्यक्षता में वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक एवं वरीय लोक अभियोजक/लोक अभियोजक की जिलास्तरीय त्रिसदस्यीय समिति का गठन किया गया था ।

2. उक्त आलोक में राज्य के सभी उपायुक्तों से त्रिसदस्यीय समिति की अनुशंसा सहित मुकदमा वापसी (पत्थलगड़ी एवं CNT/SPT से संबंधित दर्ज कांडों की) संबंधी प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में विभागीय संकल्प संख्या-1824, दिनांक 31.03.2021 द्वारा पत्थलगड़ी के एवं CNT/SPT के मुकदमों का प्रत्याहरण किया गया। उक्त संकल्प में यह भी प्रावधान किया गया है कि राज्यान्तर्गत पत्थलगड़ी का समर्थन एवं CNT/SPT Act में संशोधन का विरोध करने के फलस्वरूप दर्ज कांडों/मुकदमों के इस प्रत्याहरण के पश्चात् भी वर्ष 2016, 2017, 2018 में यदि कोई मामला प्रत्याहरण हेतु जिला स्तरीय त्रिसदस्य समिति के संज्ञान में आता है, तो उन मामलों का अनुशंसा सहित प्रस्ताव विभाग को उपलब्ध करायेंगे ।

उक्त के आलोक में उपायुक्त, गुमला के पत्रांक-706/विधि, दिनांक 30.07.2022 द्वारा गुमला थाना कांड संख्या-421/16, दिनांक 02.12.2016, जी०आर० संख्या-1161/16 की वापसी का प्रस्तात्र त्रिसदस्यीय समिति की अनुशंसा सहित प्राप्त हुआ।

3. उपरोक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार के उक्त निर्णय के आलोक में गुमला थाना कांड संख्या-421/2016, दिनांक 02.12.2016, जी०आर० संख्या-1161/16 के प्रत्याहरित किया जाता है। तदनुसार उपायुक्त, गुमला अनुवर्त्ती कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

राजीव अरूण एक्का,
सरकार के प्रधान सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 435 – 50